अपील सूचना अधिकार संख्या 31/2023(GCMS 2023/118) (आरटीआई नं. 212558458336610) श्री कृष्ण कुक्कड़ पुत्र श्री शिवराम निवासी 1/103 हाऊसिंग बोर्ड, श्रीगंगानगर बनाम सहायक लोक सूचना अधिकारी पदेन् तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर

24.07.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री कृष्ण कुक्कड़ स्वयं उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 08.05.2023 से दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर से वांछित सूचनाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है। **अपीलार्थी ने अपनी लिखित बहस** में निःशुल्क सूचना दिलवाने एवं तहसीलदार पर राजस्थान सेवा नियम 16 के तहत आरोप पत्र जारी करने एवं पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी कृष्ण कुक्कड़ ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 08.05.2023 के द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर से निम्न दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी:

1. उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के आदेश संख्या 1490 दिनांक 29.11.2022 की पालना प्रकरण संख्या 173/2022 में वादी सरिता, राजेश कुमार, निशान्त एवं प्रतिवादी संख्या 1 रमेश कुमार पुत्र मदन लाल जाति अरोड़ा निवासी चक 1 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर, प्रतिवादी संख्या 2 सु... लाल ... गणेशी लाल निवासी चक 1 ए छोटी श्री... जारी नोटिस पुश्त परत तामील कुनिन्दा की नोटिस तामील कराने की ... सहित नोटिस की सत्यापित प्रतियां दी जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.08.10 17:57:32 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

2. Dispach प्रत्यर्थी रजिस्टर दिनांक 29.11.2022 की सत्यापित प्रति दी जावे। ऑन लाईन आवेदन व राशि जमा कराने की रसीद की प्रति संलग्न है।

तहसीलदार (भू.अ.), श्रीगंगानगर ने अपने भू.अ./3556 दिनांक 10.07.203 से लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (भू.अ.), श्रीगंगानगर) ने निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कृष्ण कुक्कड़ निवासी 1/103 हाऊसिंग बोर्ड, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 17.05.2023 को ऑनलाईन प्रार्थना पत्र भिजवाकर प्रकरण संख्या 173/2022 बाबत सरिता, राजेश कुमार, निशान्त और प्रतिवादी रमेश पुत्र मदनलाल, सुखलाल पुत्र गणेशीलाल निवासी 1 ए छोटी, श्रीगंगानगर को 21.11.2022 को जारी नोटिस पृष्ठ पर तामिल कुनिंदा की नोटिस तामिल करवाने की रिपोर्ट सहित नोटिस की सत्य प्रतियां दी जावे।

श्रीमान्जी खातेदारों को आपसी सहमति से विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु मौके पर उपस्थित होने के लिए मौखिक रूप से पाबन्द कर दिया गया था। उक्त प्रकरण में खातेदारों को नोटिस जारी नहीं किये गये थे। इसलिए प्रतिलिपि दिया जाना संभव नहीं है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक भू.अ./5020 दिनांक 29.11.2022 की प्रतिलिपि दी जा रही है। अतः श्रीमान्जी से निवेदन है कि उक्त प्रथम अपील निरस्त करने की कृपा करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

-sd-
तहसीलदार(भू.अ.)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.08.10 17:37:32 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

तहसीलदार(भू.अ.), श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी का उक्तानुसार जवाब प्रेषित किया है, जिसके अनुसार बिन्दु संख्या 1 की सूचना हेतु उन्होनें प्रार्थीगण को मौखिक रूप से पाबन्द किया था और खातेदारों को नोटिस जारी नहीं किये गये है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे सूचना के सम्बन्ध स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। उक्त विवेचन के अनुसार जब बिन्दु संख्या 01 की सूचना तहसीलदार (भू.अ.), श्रीगंगानगर के पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए बिन्दु संख्या 01 की सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है। जहां तक **बिन्दु संख्या 2** की सूचना [illegible] सम्बन्धित रिकॉर्ड लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध [illegible] लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि में अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं करवाया है, जो उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक था। इसलिए बिन्दु संख्या 02 [illegible] सूचना अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध करवाई जानी उचित प्रतीत होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.08.10 17:57:32 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और तहसीलदार (भू.अ.), श्रीगंगानगर को आदेश दिया है वे बिन्दु संख्या 02 की सूचना अपीलार्थी को निःशुल्क उपलबध करवायें। **अपीलार्थी ने अपील लिखित बहस में लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक एवं कानूनी कार्यवाही करने के की प्रार्थना की है,** जिसके लिए अपीलार्थी अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते है। आदेश की प्रति **तहसीलदार (भू.अ.),** श्रीगांगनगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 24.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंशदीप)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.08.10 17:57:32 IST
Reason: SelfAttested